Patrika

UPSC going to reduce Upper age limit for Civil service

नई दिल्ली.सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) बड़ा फैसला लेने जा रहा है। परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 32 से घटाकर 26 साल करने की तैयारी की जा रही है। केवल सामान्य वर्ग के आयु से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है।

सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए नियम बदलेगा

सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय पर जल्द औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद 26 साल से ज्यादा आयु वाले सामान्य वर्ग के छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे। 26 या उससे कम उम्र वाले ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम आयु के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह ही कम से कम 21 साल की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे। वहीं, एससी और एसटी के छात्रों के लिए आयु से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इन वर्ग के लिए सिविल सेवा की परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 37 है। यह नियम बरकरार रहेगा।

नौजवान अधिकारी चाहती है यूपीएससी

यूपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उम्र के नियम में छह साल की कटौती के पीछे एक अहम कारण है। यूपीएससी चाहती है कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस में ज्यादा नौजवान अधिकारी आने चाहिए। फिलहाल कई लोग सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और अक्सर 32 की उम्र में सफल हो पाते हैं। बाद में इनकीट्रेनिंगहोती है। जब यह ट्रेनिंग के बाद नौकरी पर जाते हैं तो उम्र और अधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार लंबे समय से उम्र कम करने पर विचार कर रही थी।